गोपनीय

विधान मण्डल में प्रस्तुत होने
के पश्चात निर्गत हेतु

SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

प्रेस विज्ञप्ति

सरयू नहर परियोजना पर

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

का प्रतिवेदन

उत्तर प्रदेश शासन

प्रतिवेदन सं. 3, वर्ष 2025

(निष्पादन लेखापरीक्षा- सिविल)

प्रेस ब्रीफ

सरयू नहर परियोजना - उत्तर प्रदेश सरकार पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं. 3 वर्ष 2025

उत्तर प्रदेश सरकार के संदर्भ मे सरयू नहर परियोजना की निष्पादन लेखापरीक्षा पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (प्रतिवेदन सं. 3 वर्ष 2025) दिनांक..... को राज्य विधानमंडल के समक्ष रखा गया।

सरयू नहर परियोजना का गठन वर्ष 1982 में ₹ 299.20 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर 11.29 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य समादेश क्षेत्र में 14.04 लाख हेक्टेयर की सिंचन क्षमता सृजित करने के लिए किया गया था। सरयू नहर परियोजना हेतु धन, राज्य सरकार के संसाधनों, भारत सरकार के द्वारा त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, राष्ट्रीय परियोजना एवं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत केंद्रीय सहायता तथा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के ऋण से प्राप्त हुआ था। सरयू नहर परियोजना दिसंबर 2021 में लोकार्पित की गयी तथा इस पर मार्च 2022 तक ₹ 10,003.11 करोड़ का व्यय किया गया। सरयू नहर परियोजना की निष्पादन लेखापरीक्षा अप्रैल 2017 से मार्च 2022 की अवधि में संपादित कार्यों पर केंद्रित करते हुए की गई थी।

(पैराग्राफ 1.1, 1.3 और 1.5)

परियोजना प्रमुखतः, आवश्यक भूमि के अधिग्रहण/क्रय में विलम्ब और विलंबित वित्त पोषण से विपरीत रूप से प्रभावित रही, जिसके कारण न केवल परियोजना विलंबित हुई अपितु इसमें लागत वृद्धि, जिसमें कृषकों को भूमि प्रतिकर की राशि में बढोत्तरी भी सम्मिलित थी, के फलस्वरूप राजकोष पर अतिरिक्त वित्तीय भार भी पड़ा।

(पैराग्राफ 1.7, 3.2.2 और 3.4)

नहरों के अनुदैर्ध्य खंड और चिनाई संरचनाओं के चित्रों के अनुमोदन के बिना विस्तृत अनुमान तैयार किए गए थे, जिसके कारण अनुबंधों के दायरे में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। निविदाएं बिना तकनीकी स्वीकृति के आमंत्रित की गई थीं। 39 प्रतिशत परीक्षण जांच किए गए अनुबंधों में निविदाकर्ताओं को निविदा जमा करने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया गया। गलत दर विश्लेषण, अधिक व्यय (₹14.08 करोड़) और ठेकेदारों को अधिक भुगतान/अनुचित लाभ (₹ 21.58 करोड़) के कारण अनुमानों को बढ़ाकर (₹ 23.66 करोड़) बनाए जाने के प्रकरण देखे गए। कार्यों के निष्पादन में गुणवत्ता आश्वासन कमजोर रहा क्योंकि मिट्टी के कार्यों और पक्के कार्यों के लिए गुणवत्ता जांचे निर्धारित मानदंडों के अनुसार नहीं की गई थीं।

(पैराग्राफ 2.2.1.1, 3.5.1, 3.5.2, 3.5.3, 3.5.4, 3.6 और 3.7)

परियोजना दिसंबर 2021 में कार्य प्रारंभ होने की तिथि से लगभग 40 वर्ष के पश्चात लोकार्पित की गई। हालांकि, परीक्षण जांच किए गए सिंचाई संभागों में, 432 नहरों में से 29 या तो अपूर्ण थीं या निर्माण प्रारंभ नहीं हुआ था। रासी मुख्य नहर और इसकी वितरण प्रणाली का उपयोग नहर से खेतों तक पानी ले जाने के लिए कुलाबों और समप्स की कमी के कारण नहीं किया गया था। समादेश क्षेत्र विकास कार्य केवल 20 प्रतिशत कृषि योग्य समादेश क्षेत्र में पूरा किया गया था जिससे नहरों से खेत तक पानी के प्रवाह में बाधा उत्पन्न हुई थी।

(पैराग्राफ 4.2, 4.3, 4.4 और 4.7)

हमने राज्य सरकार को 14 अनुशंसाएं भी की हैं। इनमें से कुछ निम्नलिखित हैं:

- राज्य सरकार को परियोजना की आवश्यकताओं के त्रुटिपूर्ण आकलन के कारणों की जांच करनी चाहिए जिसके कारण कार्य संपादन की अवधि में, इसके कार्य की परिधि में वृहद बदलाव हुए और परियोजना की पूर्णता में परिणामी विलंब हुआ।
- राज्य सरकार को विकास हेतु आवश्यक कार्यों का सही आंकलन करने और सिंचाई के प्रभावी नियोजन हेतु सरयू नहर परियोजना से वास्तविक रूप से आच्छादित क्षेत्र का निर्धारण करने के लिए व्यापक भूमि सर्वेक्षण करना चाहिए।
- कई योजनाओं/कार्यक्रमों में समय और लागत वृद्धि की स्थिति बनी रहने के दृष्टिगत, राज्य सरकार को परियोजना निष्पादन में हुई चूक और विलंब के लिए उत्तरदायित्व का निर्धारण करना चाहिए।
- राज्य सरकार को उन परिस्थितियों का पता लगाना चाहिए जिसके कारण डिजाइन, ड्राइंग एवं कार्य की मात्राओं को अंतिम रूप दिए बिना कार्यों के ठेके दे दिए गए थे।
- परियोजना की प्रमुख संरचनाओं के निर्माण की गुणवत्ता का सत्यापन किया जाना चाहिए।
- नियमित आंतरिक लेखापरीक्षा, तकनीकी निरीक्षण और अभिलेखों एवं दस्तावेजों के रखरखाव के माध्यम से आंतरिक नियंत्रण तंत्र सुदृढ़ किया जाना चाहिए।
- रासी मुख्य नहर और इसकी वितरण प्रणाली के अंतर्गत निर्मित नहरों को कुलाबों तथा सम्प्स एवं कुलाबों से आगे गुलों एवं नालियों का निर्माण करके तत्काल उपयोग में लाया जाना चाहिए।
- सरयू नहर परियोजना के समादेश क्षेत्र में पर्याप्त जल, विशेषकर रबी मौसम में, उपलब्ध कराने हेतु समाधानों की पहचान करने की तत्काल आवश्यकता है जिससे कि कृषकों को अपेक्षित लाभ प्राप्त हो सके।

- नहर तंत्र में उपलब्ध जल का समान वितरण सुनिश्चित करने के लिए जल उपयोगकर्ता संघों का गठन शीघ्र किया जाना चाहिए।
- सृजित संपत्तियों का रखरखाव सुनिश्चित किया जाना चाहिए जिससे कि अपेक्षित लाभ प्राप्त करने हेतु इन्हें उपयोग करने योग्य बनाए रखा जाए।

(राज कुमार)
प्रधान महालेखाकार

उपरोक्त विषयों पर किसी भी अन्य जानकारी के लिए, कृपया निम्नलिखित पते पर संपर्क करें:

प्रवक्ता	: व0 उप महालेखाकार कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज-211001		
ईमेल	: dagadmn.up2.au@cag.gov.in	वेबसाइट	: https://cag.gov.in/ag1/uttar pradesh/en
फोन	: 0532-2624757	फैक्स नं.	: 05322424102